प्रकरण संख्या 91/2010 भैरूसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उप तहसीलदार खमनोर के समक्ष हाल रेस्पोन्डेन्ट सरकार द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोशीवाड़ा स्थित बिलानाम आराजी नंबर 3186 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा किस्म मगरी में एक विस्वा भूमि पर अतिक्रमी भैरूसिंह ने अतिक्रमण कर ट्यूबवेल खोद रखा है व एक पक्का कमरा बना रखा है। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया। उप तहसीलदार खमनोर द्वारा विपक्षी अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये, जिस पर विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिलानाम आराजी नंबर 3186 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा में एक बिस्वा में उसका कब्जा होकर 9–10 वर्षो से ट्यूबवेल एवं कोटडी के रूप में उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हूॅ। विपक्षी के पास पेयजल का एक मात्र स्त्रोत उक्त ट्यूबवेल है, इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। उक्त एक बिस्वा भूमि नियमन योग्य होने से विपक्षी को नियमन किया जावे। उप तहसीलदार खमनोर ने प्रकरण नियमन योग्य पाये जाने पर अपने आदेश दिनांक 13.10.2009 से प्रकरण नियमन की कार्यवाही किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को प्रेषित किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा ने अपने आदेश दिनांक 20.07.2010 से प्रकरण नियमन योग्य नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06.09.2010 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बता[illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना [illegible] पुनः कथित आदेश दिया है। कथित ट्यूबवेल सन् 2001 [illegible] खुदवाया गया एवं इस ट्यूबवेल का पानी ऑगनवाडी केन्द्र [illegible] बच्चे व मवेशी पीते है	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 91/2010 भैरूसिंह बनाम सरकार

तथा किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने सिविल न्यायाधीश क.ख. नाथद्वारा में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज होने के आधार पर कथित ट्यूबवेल नियमन योग्य नहीं मानकर आदेश देने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा दौराने कार्यवाही अपीलान्ट को बेदखल कर दिया जावे तो कब्जा पुनः दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि उप तहसीलदार खमनोर ने पूर्ण जांच के बाद प्रकरण को नियमन योग्य मानते हुए उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को नियमन हेतु प्रेषित किया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का बिना अवसर दिये सिविल न्यायाधीश क.ख. नाथद्वारा में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज होने के आधार पर प्रकरण को नियमन योग्य नहीं मानते हुए खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.07.2010 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की रोशनी में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.09.2021 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक 19.07.2021 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:30 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
भा.प्र.से.
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 91/2010 भैरूसिंह बनाम सरकार

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:30 IST
Reason: SelfAttested